# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—196 / 2025

कृष्णा शर्मा

—अपीलार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुढासुर्जन, ब्लॉक जालसू, जयपुर ग्रामीण।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

**समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुढासुर्जन, ब्लॉक जालसू, जयपुर ग्रामीण से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, Ramlyawala ब्लॉक जालसू में किया गया था। उक्त आदेश में यह अंकित किया गया था कि कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.12.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा अधिशेष कर्मियों के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश पारित किया, जिसमें अधिशेष कर्मियों का परिवेदना प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्रा दी गयी और परिवेदना निस्तारण करने हेतु कमेटी का गठन किया गया। अपीलार्थी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के उक्त कार्यालय आदेश की पालना में एक परिवेदना प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत की। अपीलार्थी की परिवेदना को स्वीकार कर नवीन पदस्थापन आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक—7) जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को नवीन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुढासर्जन, आमेर, जयपुर में

समायोजन किये जाने के ओदश पारित किये गये। अपीलार्थी अपनी परिवेदना के अनुसार नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण करना चाहता है, परन्तु अपीलार्थी को इस आधार पर कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है कि अपीलार्थी ने पूर्व में आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में कार्य ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि नवीन आदेश दिनांक 17.12.2024 में गलत रूप से यह शर्त अंकित की गयी है कि पूर्व के आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में जिन कार्मिकों ने कार्यमुक्त होकर समायोजित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है, तो यह आदेश उन कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा। चूंकि अपीलार्थी को परिवेदना दिये जाने की स्वतंत्रता दी गयी थी। ऐसे में अपीलार्थी की परिवेदना यदि अपीलार्थी के पक्ष में निस्तारित हुई है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के पश्चात परिवेदना प्रत्यर्थी विभाग को दी गयी थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परिवेदना का निस्तारण किया गया। ऐसे में अपीलार्थी की परिवेदना का निस्तारण जब उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है तो अपीलार्थी को उसकी परिवेदना के अनुसार नये स्थान पर कार्य ग्रहण करने से रोका जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की निस्तारित परिवेदना के अनुसार अपीलार्थी को नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण करने के लिये आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक–7) की पालना में कार्यमुक्त करें।

6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)